अनुदान संख्या 60 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
GRANT No. 60 - MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*138,13,00*	*167,78,00*	*165,13,84*	*-2,64,16*
पूरक	*Supplementary*	*29,65,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	53969,17,00	53980,22,00	21788,78,28	-32191,43,72
पूरक	Supplementary	11,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				31846,31,59
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		50,11,00	45,86,31	-4,24,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	31942,67,00	37606,59,00	37143,96,27	-462,62,73
पूरक	Supplementary	5663,92,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				445,02,62

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3219143.72 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹1105.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 60 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹3219143.72 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1105.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 60 percent of total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	21417.00	14691.57	14110.04	-581.53
पु.	R.	-6725.43			
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"				
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	27742.00	20240.72	19214.61	-1026.11
पु.	R.	-7501.28			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण कार्य	Public Works				
मू.	O.	221245.00	232188.01	227167.45	-5020.56
पु.	R.	10943.01			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing					
मू.	O.	761081.00				
पू.	S.	1.00		302050.72	299007.55	-3043.17
पु.	R.	-459031.28				
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development					
मू.	O.	232764.00				
पू.	S.	1101.00		200820.00	193854.39	-6965.61
पु.	R.	-33045.00				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	169000.00				
पू.	S.	1.00		54.13	..	-54.13
पु.	R.	-168946.87				
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.	33632.00				
पू.	S.	1.00		45452.00	44529.69	-922.31
पु.	R.	11819.00				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	3798836.00				
पू.	S.	1.00		1322546.26	1308870.05	-13676.21
पु.	R.	- 2476290.74				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	131200.00	75347.00	72124.50	-3222.50
पु.	R.	-55853.00			

(I) ₹196439.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹195571.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹196439.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under twenty one heads; of these ₹195571.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2217" – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम)" – ₹13000.00 लाख कैबिनेट अनुमोदन में विलंब होने की वजह से योजना शुरू न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2217" - "Other Urban Development Schemes-Assistance to Local Bodies Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc- National Urban Digital Mission (NUDM)" - ₹13000.00 lakhs - due to non-taking off of the scheme owing to pending Cabinet approval.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "शहरी आवास अन्य अनुदान – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹71000.00 लाख;

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – शहरोन्मुख रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹2196.00 लाख;

(ग) "केन्द्रीय सहायता / हिस्सा" –

(B) "Major Head "2552" -

(a) "Urban Housing Other Grants - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹71000.00 lakhs;

(b) "Other General Economic Services - Urban Oriented Employment Programme - National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹2196.00 lakhs;

(c) "Central Assistance/Share" -

(i) "स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)" – ₹50000.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(ii) "पीएम – ई–बस सेवा" – ₹5000.00 लाख वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(i) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" – ₹675.00 लाख;

(ii) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹20000.00 लाख; और

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹20000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केंद्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहर निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)" – ₹5000.00 लाख – सीआईटीआईआईएस 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत घटक 2 को अंतिम रूप न दिए जाने और त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देने में देरी होने की वजह से एसएनए पर सभी शहरों का मानचित्रण न किए जाने के कारण थे।

(i) "Swachh Bharat Mission (SBM)" - ₹50000.00 lakhs;

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(ii) "PM-eBus Sewa"- ₹5000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Special Component Plan For Scheduled Castes" -

(i) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - ₹675.00 lakhs;

(ii) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - ₹20000.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan-Pradhan Mantri Awas Yojana(Urban)" - ₹20000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance / Share"-

(a) "City Investment to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0)"- ₹5000.00 lakhs- due to non finalization of component 2 under CITIIS 2.0 programme and non-mapping of all cities on SNA owing to delay in finalisation of tripartite agreement.

(ख) "पीएम–ई–बस सेवा" – ₹2200.00 लाख विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव भेजने में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण थे।

(ग) "राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन" – ₹6500.00 लाख कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने की वजह से योजना को कार्यान्वित न किए जाने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – आवासन और शहरी कार्य" के अंतर्गत ₹7306.96 लाख की बचत (₹21417.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के नामांकन के प्रस्ताव प्राप्त न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2058" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "स्टेशनरी स्टोर की खरीद और आपूर्ति – स्टेशनरी नियंत्रक" – ₹4075.11 लाख की बचत (₹6779.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खरीद निविदा को अंतिम रूप न देने, रिक्त पदों को न भरने और स्थापना संबंधी खर्चों में कमी के कारण हुई।

(खा) "सरकारी मुद्रणालय – मुद्रण निदेशालय एवं मुद्रणालय" – ₹3977.57 लाख की बचत (₹18504.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, जेम खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप न देने, स्थापना संबंधी कम खर्च किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2059" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(b) "PM-eBus Sewa" - ₹2200.00 lakhs - due to delay in submission of proposals from UTs with legislature and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "National Urban Digital Mission" - ₹6500.00 lakhs - due to non-implementing of the scheme owing to pending Cabinet approval.

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat-Housing and Urban Affairs"- saving of ₹7306.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21417.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for nomination of officers on training and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "2058"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Purchase and Supply of Stationery Stores - Controller of Stationery"- saving of ₹4075.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6779.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement tender non-filling up of vacant posts and less establishment related expenses.

(B) "Government Presses - Directorate of Printing & Printing Presses"- saving of ₹3977.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18504.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of GeM procurement process, less establishment related expenditure and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) Under Major Head "2059" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कार्यालय भवन – रखरखाव और मरम्मत – कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹2185.69 लाख की बचत (₹9160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "अन्य भवन – मरम्मत और रख–रखाव" –

(क) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1077.33 लाख की बचत (₹5910.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "अन्य रखरखाव व्यय" – ₹846.83 लाख की बचत (₹8350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन" –

(क) "निष्पादन" – ₹825.53 लाख की बचत (₹4197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) "कम्प्यूटरीकरण योजना" – ₹2857.27 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेक महिंद्रा द्वारा कम संसाधनों का उपयोग किए जाने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ग) "भूमि एवं विकास कार्यालय" – ₹1044.88 लाख की बचत (₹2854.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद न होने, रिक्त पदों को न भरने और स्थापना संबंधी व्यय में कमी के कारण हुई।

(A) "Office Buildings - Maintenance and Repairs - Work Charged Establishment" - saving of ₹2185.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9160.00 lakhs) was due to retirement of work-charged staff in CPWD and slow progress of work.

(B) "Other Buildings - Maintenance and Repairs" -

(a) "Work Charged Establishment" - saving of ₹1077.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5910.00 lakhs) was due to retirement of work charged staff in CPWD and non-filling up of vacant posts.

(b) "Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹846.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8350.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to delay in tendering process.

(C) "General - Direction and Administration" -

(a) "Execution" - saving of ₹825.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4197.00 lakhs) was due to retirement of work charged staff in CPWD and non-filling up of vacant posts.

(b) "Scheme of Computerisation" - saving of ₹2857.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to less resources deployment by Tech Mahindra.

(c) "Land and Development Office"- saving of ₹1044.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2854.00 lakhs) was due to non-procurement of electronic devices, non-filling up of vacant posts and less establishment related expenses.

(घ) “समाधियों का रखरखाव” – ₹905.20 लाख की बचत (₹3700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी होने की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(d) “Maintenance of Samadhis” - saving of ₹905.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3700.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to delay in tendering process.

(V) मुख्य शीर्ष “2216” के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(V) Under Major Head “2216”- savings occurred under the following heads:-

(का) “शहरी आवास” –

(A) “Urban Housing”-

(क) “निदेशन एवं प्रशासन – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹921.48 लाख की बचत (₹1006.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीएमएवाई योजना के अंतर्गत वेतन एवं भत्तों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) “Direction & Administration- Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)”- saving of ₹921.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1006.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards salaries and allowances under PMAY scheme.

(ख) “सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)” – ₹460100.85 लाख की बचत (₹644351.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएलएसएस को बंद करने, पीएमएवाई–यू 2.0 के कार्यान्वयन में देरी, सीआरजीएफटीएलआईएच के पुनर्गठन और राष्ट्रीय आवास बैंक से राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को प्रबंधन का हस्तांतरण किए जाने के कारण हुई।

(b) “Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)” - saving of ₹460100.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹644351.00 lakhs) was due to discontinuation of CLSS, delay in implementation of PMAY-U 2.O, restructuring of CRGFTLIH and transfer of management from National Housing Bank to National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC).

(खा) “सामान्य पूल आवास” –

(B) “General Pool Accommodation” -

(क) “निदेशन और प्रशासन – संपदा निदेशालय” – ₹1162.35 लाख की बचत (₹5147.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी कम व्यय, रिक्त पदों को न भरने तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले लंबित होने के कारण हुई।

(a) “Direction and Administration- Directorate of Estates” - saving of ₹1162.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5147.00 lakhs) was due to less establishment related expenses, non-filling up of vacant posts and pendency of court-case in Delhi High Court.

(ख) “रखरखाव और मरम्मत” –

(b) “Maintenance and Repairs” -

(i) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹2820.52 लाख की बचत (₹9710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(i) "Work Charged Establishment" - saving of ₹2820.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9710.00 lakhs) was due to retirement of work charged staff in CPWD and non-filling up of vacant post.

(ii) "भवन–पट्टा प्रभार" – ₹1780.48 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमसीडी और सीपीडब्ल्यूडी प्रभागों के बीच विवादित संपत्ति कर दावों के निपटान न होने के कारण हुई।

(ii) "Buildings-Lease Charges" - saving of ₹1780.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to non-settlement of disputed property tax claims between MCD and CPWD Divisions.

(गा) "अन्य आवास– रखरखाव और मरम्मत" –

(C) "Other Housing-Maintenance and Repairs"-

(i) "अन्य रखरखाव व्यय" – ₹729.60 लाख की बचत (₹8050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा में देरी की वजह से कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(i) "Other Maintenance Expenditure"- saving of ₹729.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8050.00 lakhs) was due to slow progress of work owing to delay in tendering.

(ii) "कार्य प्रभारित स्थापना" – ₹1160.02 लाख की बचत (₹5190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(ii) "Work Charged Establishment"- saving of ₹1160.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5190.00 lakhs) was due to retirement of work charged staff in CPWD and non-filling up of vacant posts.

(VI) मुख्य शीर्ष "2217" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(VI) Under Major Head "2217" - savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता – एनसीआर योजना बोर्ड" – ₹1000.00 लाख की बचत (₹5500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(A) "National Capital Region-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc - N.C.R Planning Board" - saving of ₹1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "अन्य शहरी विकास योजनाएँ" –

(B) "Other Urban Development Schemes" -

(क) "निदेशन एवं प्रशासन – स्वच्छ भारत मिशन" – ₹12411.59 लाख की बचत (₹18175.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की निगरानी के लिए नियोजित दौरे का पूरा न होने, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता"–

(i) "100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" – ₹31724.83 लाख की बचत (₹43810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार द्वारा जारी राशि के बराबर यूटी शेयर के हस्तांतरण न होने के कारण हुई।

(ii) "शहरी कायाकल्प मिशन–500 निवास (अमृत)" – ₹10938.01 लाख की बचत (₹23700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से दावे प्राप्त न होने तथा स्थापना व्यय कम होने के कारण हुई।

(iii) "पीएम– ई–बस सेवा" – ₹6456.31 लाख की बचत (₹7800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिपूर्ति के कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम फील्ड दौरे किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(iv) "नवाचार, एकीकरण और स्थिरता के लिए शहर निवेश 2.0 (सीआईटीआईआईएस 2.0)" – ₹1574.52 लाख की बचत (₹2500.00

(a) "Direction and Administration - Swachh Bharat Mission" - saving of ₹12411.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18175.00 lakhs) was due to non-materialisation of visits planned for monitoring various States/UTs, non receipt of approval for the events convened by MoHUA and reduction of the provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities, Town Improvement Boards etc." -

(i) "Mission For 100 Smart Cities" - saving of ₹31724.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43810.00 lakhs) was due to non-transfer of UT share equivalent to Government of India release.

(ii) "Urban Rejuvenation Mission-500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹10938.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23700.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from the UTs without legislature and less establishment expenses.

(iii) "PM-EBus Sewa"- saving of ₹6456.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7800.00 lakhs) was due to receipt of less reimbursement proposals from States and UTs, less field visits and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(iv) "City Investment to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0)" - saving of ₹1574.52 lakhs

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना अभी कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में होने की वजह से हुई।

(against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to scheme being in the initial stage of implementation.

(VII) मुख्य शीर्ष "3475" – "शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)" के अंतर्गत ₹946.94 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने तथा स्थापना संबंधी व्यय कम होने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programmes- National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹946.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non acceptance of extension proposal of the scheme by the Ministry of Finance and less establishment related expenses.

(VIII) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(VIII) Under Major Head "3601" - Centrally Sponsored Schemes- savings occurred under the following heads:-

(का) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(क) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹252118.89 लाख की बचत (₹400625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा कम दावे प्राप्त होने, एसएनए–स्पर्श के कार्यान्वयन का शुरूआती चरण होने की वजह से कम दावे प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) "शहरी कायाकल्प मिशन – 500 निवास (अमृत)" – ₹205259.16 लाख की बचत (₹745915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएनए–स्पर्श के कार्यान्वयन की वजह से राज्यों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹1422729.75 लाख की बचत (₹1710002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने हेतु कम दावे प्राप्त होने और राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)"– ₹16580.80 लाख की बचत (₹18667.00 लाख के

(A) "Central Assistance/Share"-

(a) "Swachh Bharat Mission"- saving of ₹252118.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400625.00 lakhs) was due to receipt of less claims by States and receipt of less claims owing to initial stage of implementation of SNA-SPARSH.

(b) "Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹205259.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹745915.00 lakhs) was due to receipt of less claims from states due to implementation of SNA-SPARSH.

(c) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹1422729.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1710002.00 lakhs) was due to receipt of less claims for release of funds for projects sanctioned and receipt of less claims from State Governments.

(d) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹16580.80 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकार न किये जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹18667.00 lakhs) was due to non acceptance of extension proposal of the scheme by the Ministry of Finance.

(ङ.) "अन्य शहरी विकास योजनाएं" – ₹102002.00 लाख की बचत (₹110502.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने की वजह से योजना शुरू न किए जाने तथा त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(e) "Other Urban Development Schemes" - saving of ₹102002.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹110502.00 lakhs) was due to non-taking off of the scheme owing to pending Cabinet approval and delay in finalisation of tripartite agreement.

(च) "पीएम–ई–बस सेवा" – ₹68642.25 लाख की बचत (₹115000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने और बसों के परिचालन में देरी के कारण हुई।

(f) "PM-eBus Sewa"- saving of ₹68642.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115000.00 lakhs) was due to delay in submission of proposals from States and operationalisation of buses.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(क) "शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹320550.87 लाख की बचत (₹400001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का त्वरित आकलन और एकीकृत वेब–पोर्टल पर विवरण अपलोड करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा न होने और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने हेतु कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(a) "Urban Housing - Other Grants" - saving of ₹320550.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400001.00 lakhs) was due to non completion of preparatory activities such as rapid assessment of housing demand in urban areas and uploading details on unified Web-portal and receipt of less claims for release of funds for projects sanctioned.

(ख) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)"– ₹5095.75 लाख की बचत (₹5737.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹5095.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5737.00 lakhs); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(C) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)"– ₹973.45 लाख की बचत (₹1096.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "National Urban Livelihoods Mission (NULM)" - saving of ₹973.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1096.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा योजना के विस्तार प्रस्ताव को स्वीकार न करने के कारण हुई।

(ख) "शहरी आवास – अन्य अनुदान" – ₹114847.04 लाख की बचत (₹140001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का त्वरित आकलन और एकीकृत वेब–पोर्टल पर विवरण अपलोड करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा न होने और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने हेतु कम दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(IX) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "स्वच्छ भारत मिशन" – ₹12089.50 लाख की बचत (₹31200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" – ₹8575.00 लाख की बचत (₹44900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूटी शेयर हस्तांतरण में देरी, विशेष घटक योजना के आकार में कमी और अन्य संरचनात्मक मुद्दों के कारण हुई।

(गा) "शहरी कायाकल्प मिशन – 500 निवास (अमृत)"– ₹19140.80 लाख की बचत (₹30700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एसएनए–स्पर्श के कार्यान्वयन की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" – ₹4744.80 लाख की बचत (₹8200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग का त्वरित आकलन और एकीकृत वेब–पोर्टल पर विवरण अपलोड करने जैसी प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा न होने तथा स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

Saving under the above two heads were due to non acceptance of extension proposal of the scheme by the Ministry of Finance.

(b) "Urban Housing - Other Grants" - saving of ₹114847.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹140001.00 lakhs) was due to non completion of preparatory activities such as rapid assessment of housing demand in urban areas and uploading details on unified Web-portal and receipt of less claims for release of funds for projects sanctioned.

(IX) Under Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Swachh Bharat Mission" - saving of ₹12089.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31200.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Mission For 100 Smart Cities"- saving of ₹8575.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44900.00 lakhs) was due to delay in UT share transfer, reduction of Special Component Plan size and other structural issues.

(C) "Urban Rejuvenation Mission - 500 Habitations (AMRUT)" - saving of ₹19140.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30700.00 lakhs) was due to receipt of less claims from UTs owing to implementation of SNA-SPARSH.

(D) "Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)" - saving of ₹4744.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs) was due to non completion of preparatory activities such as rapid assessment of housing demand in urban areas and uploading details on unified Web-portal and receipt of less claims for release of funds for projects sanctioned.

(X) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1653.96 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 19 से 99 प्रतिशत तक थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें (₹53713.10 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1103.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "2216" – "शहरी आवास – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0" – ₹4999.00 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:–

(क) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों/नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता" –

(i) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को अनुदान" – ₹14000.00 लाख।

(ii) "आरआरटीएस में महिलाओं सुरक्षा पहल के लिए निर्भया योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय" – ₹1100.00 लाख।

(ख) "अन्य शहरी विकास योजनाएँ – आरक्षित निधि/जमा लेखे में अंतरण – राष्ट्रीय स्वच्छता कोष में अंतरण" – ₹15942.10 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15942.07 लाख था।

(ग) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए अनुदान" – ₹6701.00 लाख।

(X) Under five heads saving of ₹1653.96 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 to 99 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹53713.10 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹1103.00 lakhs in December, 2024 and March, 2025 under the following Major Heads:-

(A) Major Head "2216"- "Urban Housing-Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) 2.0"- ₹4999.00 lakhs.

(B) Under Major Head "2217"- excess occurred under the following heads:-

(a) "National Capital Region-Assistance to Local Bodies, Corporations, Urban Development Authorities/Town Improvement Boards etc." -

(i) "Grants to National Capital Region Transport Corporation" - ₹14000.00 lakhs.

(ii) "Expenditure On Nirbhaya Schemes/ Projects For Women Safety Initiatives in RRTS" - ₹1100.00 lakhs.

(b) "Other Urban Development Schemes-Transfer to Reserve Fund/Deposit Account-Transfer to Rastriya Swachhata Kosh"- ₹15942.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹15942.07 lakhs.

(c) "General - Direction and Administration-Grant to Metro Rail Projects"- ₹6701.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – अन्य सामान्य सेवाएँ – शहरोन्मुखी रोज़गार कार्यक्रम – दीनदयाल जन आजीविका योजना (एस)" के अंतर्गत ₹10971.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5956.50 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2059" –

(क) "कार्यालय भवन" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआः–

(i) "रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹6464.25 लाख का अधिक व्यय (₹32810.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेंट्रल विस्टा और अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत नए जनरल पूल ऑफिस आवास (जीपीओए) को जोड़ने की वजह से लंबित देयता को कम से कम करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "पट्टा शुल्क – स्थानीय निकायों आदि को किराया, दरों और करों का भुगतान" – ₹641.93 लाख का अधिक व्यय (₹25819.38 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई दिल्ली नगर निगम/दिल्ली नगर निगम/बॉम्बे उपनगरीय विद्युत आपूर्ति (एनडीएमसी/एमसीडी/बीएसईएस) के बिजली बिलों और लंबित देनदारियों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "सामान्य – निदेशन एवं प्रशासन – सीपीडब्ल्यूडी स्थापना" – ₹9364.43 लाख अधिक व्यय (₹113220.42 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी के स्थापना संबंधी व्ययों को पूरा

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Other General Services - Urban Oriented Employment Programmes - Deendayal Jan Aajeevika Yojana (S)" - ₹10971.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5956.50 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2059" -

(a) "Office Buildings" - excess occurred under the following heads:-

(i) "Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹6464.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32810.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards minimising the pending liability owing to addition of new General Pool Office Accommodations (GPOAs) under Central Vista and other projects.

(ii) "Lease Charges - Payments of Rent, Rates and Taxes to Local bodies Etc." - excess of ₹641.93 lakhs (against the sanction provision of ₹25819.38 lakhs) was due to requirement of additional funds towards electricity bills & pending liabilities of New Delhi Municipal Corporation/ Municipal Corporation of Delhi/ Bombay Suburban Electric Supply (NDMC/MCD/BSES).

(b) "General - Direction and Administration- CPWD Establishment" - excess of ₹9364.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹113220.42 lakhs) was due to

करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

requirement of additional funds to meet establishment related expenses of CPWD.

(खा) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल आवास – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" के अंतर्गत ₹2608.56 लाख का अधिक व्यय (₹61141.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीपीडब्ल्यूडी की लंबित देयता के निपटान और जीपीआरए परिसर के रखरखाव कार्य पर जीएसटी किस्त के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹2608.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹61141.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liability with CPWD and GST installment on maintenance work of GPRA complex.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" – "शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम – प्रधानमंत्री पट्टरी विक्रता आत्मनिर्भर निधि (पीएम–स्वनिधि) – पट्टरी विक्रताओं के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा" के अंतर्गत ₹11641.51 लाख का अधिक व्यय (₹32632.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों को मासिक कैशबैक के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और ऋण दात्री संस्थाओं से अधिक दावों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(C) Major Head "3475" - "Urban Oriented Employment Programmes - Prime Minister Street Vendor Atma Nirbhar Nidhi (PM-SVANidhi) - Special Micro Credit Facility for Street Vendors" - excess of ₹11641.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32632.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards monthly cashback to the beneficiaries and receipt of more claims from lending institutions.

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – केन्द्रीय सहायता / हिस्सा – 100 स्मार्ट शहरों के लिए मिशन" के अंतर्गत ₹12876.51 लाख का अधिक व्यय (₹151290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट सिटी मिशन और सक्रिय परियोजनाओं के विस्तार के लिए राज्यों द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(D) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance / Share - Mission For 100 Smart Cities" - excess of ₹12876.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹151290.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by States for extension of Smart City Mission and ongoing projects.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, ₹100.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

4. In the charged portion of the capital section of the grant, provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः–

5. In the voted portion of capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4058"	Major Head "4058"				
लेखन–सामग्री और मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Stationery and Printing				
मू.	O.	8185.00	3819.00	3738.65	-80.35
पु.	R.	-4366.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	259960.00	204042.03	203291.21	-750.82
पु.	R.	-55917.97			
मुख्य शीर्ष "4216"	Major Head "4216"				
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	105217.00			
पू.	S.	1.00	119744.35	118981.58	-762.77
पु.	R.	14526.35			
मुख्य शीर्ष "4217"	Major Head "4217"				
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Urban Development				
मू.	O.	678462.00			
पू.	S.	499234.00	1179111.00	1179040.68	-70.32
पु.	R.	1415.00			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4058" – "सरकारी मुद्रणालय – मुद्रणालय" के अंतर्गत ₹4344.80 लाख की बचत (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रण मशीनरी की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "कार्यालय भवन – निर्माण – भवन" – ₹27607.34 लाख की बचत (₹181659.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों की वजह से काम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – निर्माण" –

(क) "खान" – ₹8077.76 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा प्रक्रिया में देरी और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ख) "अन्य मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय भवन" – ₹20915.02 लाख की बचत (₹66100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गांधीनगर में स्थानीय निकायों से लंबित अनुमोदन, संवैधानिक और संसदीय अध्ययन भवन की ड्राईंग को अंतिम रूप दिए जाने और निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण हुई।

6.(I) उपर्युक्त बचतें (₹14560.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one heads.

(II) Under Major Head "4058" - "Government Presses - Printing Presses" - saving of ₹4344.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to non-finalization of procurement of printing machinery and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head "4059" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Office Buildings - Construction - Buildings" - saving of ₹27607.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹181659.00 lakhs) was due to slow pace of work owing to unfavorable weather conditions

(B) "General - Construction" -

(a) "Mines" - saving of ₹8077.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to delay in tendering process and slow progress of work.

(b) "Office Building of Other Ministries/ Departments" - saving of ₹20915.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹66100.00 lakhs) was due to pending approval from local bodies in Gandhinagar, delay in finalization of drawings of Institute of Constitutional and Parliamentary Studies Building and tendering process.

6.(I) The above savings were partly (₹14560.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakhs in December, 2024 under Major Head "4216" - "Government Residential Building" - under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास – शहरी विकास – निर्माण" – ₹1500.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1183.03 लाख था।

(खा) "अन्य आवास – आवास" – ₹13060.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12637.92 लाख था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4217" – "अन्य शहरी विकास योजनाएं – निदेशन और प्रशासन – सचिवालय सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹1344.68 लाख का अधिक व्यय (₹560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतरिक्ष विभाग द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और आईटी वस्तुओं की खरीद के कारण हुआ।

7. *सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधिः-*

संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर के नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधि प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार (गैर–वाणिज्यिक विभाग) के मूल्यह्रास रिजर्व फंड का गठन किया गया था ताकि प्रेस को स्वचालित रूप से एक कुशल काम की स्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना उन परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है जिनका उपयोग प्रेस के उत्पादन में किया गया था। तदनुसार, फंड में सामान्य टूट–फूट से खर्च की गई पूंजी को बदलने के लिए पर्याप्त धनराशि होगी। निधि को सरकारी खातों में जमा राशि के रूप में माना जाएगा और निधि के कारण प्राप्तियां प्रत्येक वित्तीय वर्ष के खातों के बंद होने से तुरंत पहले वर्ष के दौरान गणना की गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर जमा की जाएंगी। विभाग की सूचना के आधार पर बजट का प्रावधान किया जाता है।

सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि नियमावली के नियम 4 के अनुसार, समय–समय पर शेष राशि पर ब्याज इस तथ्य के कारण निधि में जमा नहीं किया जाएगा कि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना

(A) "General Pool Accommodation - Urban Development - Construction" - ₹1500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1183.03 lakhs.

(B) "Other Housing - Housing" - ₹13060.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12637.92 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under Major Head "4217" - "Other Urban Development Schemes - Direction and Administration - Secretariat General Services" - excess of ₹1344.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹560.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Department of Space and procurement of IT items.

7. *Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-*

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a sufficient reserve fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The Fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department.

As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in

शामिल है, न कि मूल पूंजीगत मूल्य पर, बल्कि केवल मूल्यह्रासित पूंजी मूल्य पर। इसके अलावा उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार, निधि से व्यय का हिसाब पहली बार में उचित विस्तृत शीर्ष के तहत किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में एक समतुल्य राशि जमा शीर्ष मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules, Expenditure from the Fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head Depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2024–2025 के लिए सरकार (गैर–वाणिज्यिक विभाग) के मूल्यह्रास आरक्षित निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2024-2025 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथ शेष	Opening Balance	52,87,45
प्राप्तियां	Receipt	1,98,79
अदायगियां	Payments	..
अंत शेष	Closing Balance	54,86,24